राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2056/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
विजय सिंह मोहनोत फतेहपाल चैक जोधपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राजस्थान सूचना आयोग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 02-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.एल. मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 29-5-17 के द्वारा विभिन्न 10 अपीलों में अधिरोपित की गई शास्ति राशि कुल 92,000/- आयोग में कब जमा की गई, कैसे प्रेषित की गई, दण्डित अधिकारी द्वारा पैसा किस महकमे से भेजा गया, वसूली हेतु आयोग द्वारा की गई कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 1-8-17 के उपरान्त भी सूचना नहीं मिलने से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 13-6-17 से विनिश्चय/सूचना प्रेषित कर दी गई थी तथा प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में आयोग में उपलब्ध रिकार्ड से प्राप्त सूचना, जमा करवाई गई शास्ति एवं शास्ति को जमा करवाने के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित पत्रों की प्रतियां अपीलार्थी को अपीलोत्तर पृष्ठांकित करते हुए प्रेषित की जा चुकी है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 24-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. प्रत्यर्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 24-4-18 प्रेषित कर आक्षेप किया है कि उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है एवं अपूर्ण सूचना का प्रेषण किया गया है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 13-6-17 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 7(1) के तहत बिन्दुवार सूचना/ विनिश्चय का प्रेषण कर दिया गया था एवं पुनः अभिलेख पर उपलब्ध सूचना प्रेषण अपीलोत्तर दिनांक 24-4-18 की पृष्ठांकित प्रति के साथ संलग्न कर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना वृहद सूचना है फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा अपीलोत्तर के साथ प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में रिकार्ड से सूचना का संकलन कर सूचना का प्रेषण किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना उसी रूप में दी जा सकती है जिस रूप में सूचना अभिलेख पर संधारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का विभिन्न पत्रावलियों से संकलन कर अथवा उसका विश्लेषण कर प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया बलहीन है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त